प्रधानमंत्री के भाषण और आदर्श आचार संहिता

देश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। राजनीतिक घोषणापत्र अपनी अच्छी सामग्री के लिए नहीं बल्कि उन चीजों के लिए चर्चा में रहते हैं जो चीजें उसमें शामिल नहीं हैं। प्रधानमंत्री का हालिया बयान कि कांग्रेस लोगों से सोना और मंगलसूत्र सहित संपत्ति छीनना चाहती है और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के बीच वितरित करना चाहती है, मौजूदा चुनाव में कहानी की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, और उनके सलाहकारों से प्रधानमंत्री के समक्ष सही तथ्यों को प्रस्तुत करने की उम्मीद की जाती है।

दो घोषणापत्रों की सामग्रीः

कांग्रेस ने 'न्याय पत्र' शीर्षक वाले अपने घोषणापत्र में देश के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को सूचीबद्ध किया है और सत्ता में आने पर उनसे निपटने के लिए अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की घोषणा की है। घोषणापत्र में समानता जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया है; धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक; वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBTQIA$; स्वास्थ्य; युवा; शिक्षा; खेल, महिला सशक्तिकरण; किसान, श्रमिक; कला, संस्कृति और विरासत; अर्थव्यवस्था; कराधान और कर सुधार; और संविधान की आदि मुद्दे कांग्रेस के घोषणापत्र में हैं।

घोषणापत्र में श्धनश शीर्षक के तहत कहा गया है, श्धन और धन सृजन किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य है... कांग्रेस तेजी से विकास और धन सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अगले 10 वर्षों में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।ष वहीं श्कल्याणश शीर्षकके अंतर्गत यह कहा गया है, श्सभी का कल्याण सभी कार्यों और धन के सृजन का लक्ष्य है। कांग्रेस सरकार के तहत, गरीबों का कल्याण सभी सरकारी संसाधनों पर पहला भार होगा... नव संकल्प आर्थिक नीति का लक्ष्य एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और समान अवसर वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और लोगों के सभी वर्गों के लिए समृद्धि लाना होगा। श्इक्विटीश के शीर्षक के तहत, यह कहता है, "एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोग अभी तक बाकी लोगों के बराबर नहीं पहुंच पाए हैं और अभी भी पीछे बचे हुए हैं। जबकि ओबीसी, एससी और एसटी भारत की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा हैं, उच्च रैंकिंग वाले व्यवसायों, सेवाओं और व्यवसायों में उनका प्रतिनिधित्व अनुपातहीन रूप से कम है... कांग्रेस जातियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी। उपजातियाँ और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ। आंकड़ों के आधार पर हम सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेंगे।श्

उपर्युक्त जानकारी में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि लोगों से धन छीन लिया जाएगा और दूसरों को वितरित कर दिया जाएगा। कांग्रेस रॉबिनहुड नहीं है।

यह घोषणापत्र संविधान की प्रस्तावना को प्रतिध्वनित करता है जो "भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांि. त्रक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; और स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करेगा।ष सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना है।

संविधान का अनुच्छेद 39, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि, "राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो; कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण

इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम भलाई के लिए सर्वोत्तम संभव हो सके; और यह कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य नुकसान के लिए संकेंद्रण नहीं होता है।'' अनुच्छेद 38 राज्य को ष्लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने, और ''आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करने, और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करने'' का अधिकार देता है। अनुच्छेद 46 लोगों के कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आक्रामक रूप से समान नागरिक संहिता के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जो अनुच्छेद 44 के तहत एक निदेशक सिद्धांत भी है। ऐसे में प्रधान मंत्री और भाजपा को कांग्रेस के घोषणापत्र पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश को गुमराह करने के लिए एक गंभीर दस्तावेज को पलट दिया गया।

बीजेपी का घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' '10 साल के सुशासन और विकास' से शुरू होता है। गरीब परिवार जन शीर्षक के तहत, यह घोषणा की गई है कि ''पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2020 से 80$ करोड़ नागरिक मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पार्टी ने 'नागरिकों को उनके खातों में सीधे 34 लाख करोड़ हस्तांतरित करके सशक्त बनाया', '34+ करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है', और 'पीएम आवास योजना और अन्य पहल के माध्यम से 4$ करोड़ परिवारों के पास अब पक्के घर हैं"। अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन प्रदान करना जारी रखने सहित अन्य मुद्दों पर गारंटी के साथ ये घोषणाएं प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्यों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसलिए, प्रधानमंत्री और भाजपा को अपने घोषणापत्रों में प्रतिबद्धताओं को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले आखिरी व्यक्ति होने चाहिए।

वैसे भी घोषणापत्र को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है। एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य (2013) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव घोषणापत्र की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक कानून की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया था और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। ईसीआई ने 12 अगस्त 2013 को चुनावी घोषणापत्रों पर दिशानिर्देश तैयार करने पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की। इसके बाद इसने 24 अप्रैल, 2015 को 'चुनावी घोषणापत्रों पर दिशानिर्देशों' को रेखांकित करते हुए 'घोषणापत्रों पर राजनीतिक दलों को निर्देश' जारी किया, जिसमें कहा गया है: ''हालांकि, कानून स्पष्ट है कि चुनाव घोषणापत्र में वादों को 'भ्रष्ट आचरण' के रूप में नहीं माना जा सकता है। आरपी (जनप्रतिनिधित्व) अधिनियम की धारा 123 के तहत, इस वास्तविकता से इंकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार की मुफ्त वस्तुओं का वितरण निस्संदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है। यह काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ बताता है।"

16 मार्च, 2024 को ईसीआई द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में 'सामान्य आचरण' शीर्षक के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि ''कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती है या तनाव पैदा कर सकती है। विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच, धार्मिक या भाषाई''। इसमें यह भी कहा गया है कि "अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना, जब की जाएगी, उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगी। पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए जो अन्य पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। और वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं की जाएगी।'' यह उन गतिविधियों पर रोक लगाता है जो ष्चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराधष हैं।

1996 में निर्णयों की एक श्रृंखला में, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धार्मिक प्रकृति के भाषणों को भ्रष्ट आचरण घोषित किया, जैसे कि बाल ठाकरे का बयान कि "हम यह चुनाव हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।" इसलिए हमें मुसलमानों के वोट की परवाह नहीं है। यह देश हिंदुओं का है और रहेगा।" सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जन प्रतिनिधि त्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की व्याख्या की। डॉ. जस्टिस ठाकुर ने कोर्ट की ओर से बोलते हुए कहा, "प्रतिनिधि त्व के तहत धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर अपील की अनुमति नहीं है।" लोक अधिनियम, 1951 और उस चुनाव को रद्द करने के लिए पर्याप्त भ्रष्ट आचरण होगा जिसमें ऐसी अपील की गई थी...। इस प्रकार व्याख्या की गई, धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा को चुनावी में कोई भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी प्रक्रिया और इनमें से किसी भी विचार पर अपील की जानी चाहिए, यह एक भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।

विपक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रधान मंत्री की तीखी टिप्पणी केवल यह दर्शाती है कि उनके पास उन्हें वोट देने के लिए मनाने के लिए कोई सकारात्मक मुद्दे नहीं हैं। उनके बयान स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता के खिलाफ हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित भ्रष्ट आचरण के समान हैं। प्रधानमंत्री को ईमानदारी से आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यदि वह आदर्श बनना बंद कर देंगे तो हमारे महान लोकतंत्र का कुछ भी नहीं बचेगा।

फिर भी, कानून के कमजोर शासन के कारण अव्यवस्था जारी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। यह अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रही है, साथ ही इसने केवल यह ही मजबूती से साबित किया है कि वर्तमान चुनाव आयोग की संरचना दोषपूर्ण है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : चुनाव घोषणापत्र की सामग्री को नियंत्रित करने से जुड़े प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य (2013), मामला इससे सं. बंधित है।
2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 भी इससे संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the provisions related to controlling the content of election manifesto.

1. S. Subramaniam Balaji vs. Government of Tamil Nadu and others (2013), case was related to this.
2. Section 123 of the Representation of the People Act is also related to this.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्नः भारत में चुनावों में आदर्श आचार संहिता को नियंत्रित करने लेकर मौजूद नियम/विनियमन क्या हैं? वर्तमान में इनके सही से पालन कराने को लेकर क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में चुनावों में आदर्श आचार संहिता को संक्षिप्त में समझाएं दें।
- दूसरे भाग में को नियंत्रित करने लेकर मौजूद नियम/विनियमन की चर्चा करें साथ ही अंत में इनके सही से पालन कराने को लेकर संभावित कदमों का उल्लेख करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।